

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर
अधिसूचना अंतर्गत धारा 25 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन
के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
// अधिसूचना धारा 25 //

542
कर्मोंक / भू अर्जन / 2016

रायपुर दिनोंक 8/3/2017

चुंकि समुचित सरकार का प्रथम दृष्टया यह समाधान हो गया है कि खाना (1) से (4) तक वर्णित भूमि की खाना (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने के फलस्वरूप भू अर्जन प्रकरण 10अ/82 वर्ष 2014-15ग्राम खम्हरिया में धारा 19 की कार्यवाही(छत्तीसगढ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनोंक 30.10.2015) की गई है, परन्तु निर्धारित समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं होने के कारण भू अर्जन प्रभावितों के लोक हित में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण में एक वर्ष की कालावधि बढ़ाई जाती हैं ।

भूमि का विवरण					प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / नगर	खसरा	रकबा (हे० में)		
1	2	3	4		5	6
रायपुर	आरंग	खम्हरिया	कुल 6 सूची सलंगन	कुल रकबा 0.27हे०.	कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण संभाग क.1 रायपुर	छत्तीना-दरबा-कुटेसर-बडगाँव कुण्ड- नारा- लखौली मार्ग चौडीकरण

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(आ. पी चौधरी)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर
रायपुर दिनोंक 8/3/2017

542
कर्मोंक / भू अर्जन / 2016
प्रतिलिपि :-

- 1:- प्रमुख सचिव, छ०ग०शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2:- आपुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 3:- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी आरंग अभनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- 4:- नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय छत्तीसगढ, राजनांदगाँव को छ०ग० राजपत्र के भाग एक में तत्काल प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
- 5:- कार्य एजेन्सी कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण संभाग कर्मोंक 01 रायपुर की ओर अग्रेषित । उपरोक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन की प्रति तत्काल प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेंगे । प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करते हुये सभी प्रासंगिक बिन्दुओं पर स्थानीय निकाय से अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे साथ समुचित सरकार की वेबसाईड पर भी अपलोड करें ।
- 6:- प्रभारी अधिकारी, (एन आई सी) रायपुर को सूचनार्थ । वेबसाईड पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे ।
- 7:- तहसीलदार आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । अधिसूचना का प्रकाशन जिला कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय एवं नगर पालिक निगम में करवा कर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करेंगे ।
- 8:- सचिव ग्राम पंचायत खम्हरिया तहसील आरंग को सूचनार्थ उक्त अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल में कराने एवं ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा सं अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे ।

(आ. पी चौधरी)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर
अधिसूचना अंतर्गत धारा 25 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन
के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
// अधिसूचना धारा 25 //

543
कर्मोंक / भू अर्जन / 2016

रायपुर दिनांक 8/3/2017

चूंकि समुचित सरकार का प्रथम दृष्टया यह समाधान हो गया है कि खाना (1) से (4) तक वर्णित भूमि की खाना (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने के फलस्वरूप भू अर्जन प्रकरण 8अ/82 वर्ष 2014-15 ग्राम कुकरा में धारा 19 की कार्यवाही (छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 30.10.2015) की गई है, परन्तु निर्धारित समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं होने के कारण भू अर्जन प्रभावितों के लोक हित में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण में एक वर्ष की कालावधि बढ़ाई जाती है।

भूमि का विवरण					प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / नगर	खसरा	रकबा (हे० में)		
1	2	3	4		5	6
रायपुर	आरंग	कुकरा	कुल 03 सूची सलंगन	कुल रकबा 0.08	कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण संभाग क.1 रायपुर	छत्तीसगढ़-दरबा-कुटेसर-बडगाँव-कुण्डा-नारा-लखौली मार्ग चौड़ीकरण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(ओ.पी. चौधरी)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर
रायपुर दिनांक 8/3/2017

543
कर्मोंक / भू अर्जन / 2016
प्रतिलिपि :-

- 1:- प्रमुख सचिव, छ०ग० शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2:- आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 3:- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी आरंग अमनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4:- नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय छत्तीसगढ़, राजनांदगाँव को छ०ग० राजपत्र के भाग एक में तत्काल प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 5:- कार्य एजेन्सी कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण संभाग कर्मोंक 01 रायपुर की ओर अग्रेषित। उपरोक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन की प्रति तत्काल प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेंगे। प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करते हुये सभी प्रासंगिक बिन्दुओं पर स्थानीय निकाय से अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे साथ समुचित सरकार की वेबसाईड पर भी अपलोड करें।
- 6:- प्रभारी अधिकारी, (एन आई सी) रायपुर को सूचनार्थ। वेबसाईड पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- 7:- तहसीलदार आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन जिला कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय एवं नगर पालिक निगम में करवा कर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- 8:- सचिव ग्राम पंचायत कुकरा तहसील आरंग को सूचनार्थ उक्त अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल में कराने एवं ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा सं अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(ओ.पी. चौधरी)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर
अधिसूचना अंतर्गत धारा 25 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन
के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

कमॉक / भू अर्जन / 2016

// अधिसूचना धारा 25 //

रायपुर दिनांक 8/3/2017

चुंकि समुचित सरकार का प्रथम दृष्टया यह समाधान हो गया है कि खाना (1) से (4) तक वर्णित भूमि की खाना (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने के फलस्वरूप भू अर्जन प्रकरण 7अ/82 वर्ष 2014-15 ग्राम नारा में धारा 19 की कार्यवाही (छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 30.10.2015) की गई है, परन्तु निर्धारित समयवधि में अधिनिर्णय पारित नहीं होने के कारण भू अर्जन प्रभावितों के लोक हित में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण में एक वर्ष की कालावधि बढ़ाई जाती है।

भूमि का विवरण					प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / नगर	खसरा	रकबा (व.मी. में)		
1	2	3	4		5	6
रायपुर	आरंग	नारा	कुल 47 सूची सलंगन	कुल रकबा 7396 व.मी.	कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण संभाग क.1 रायपुर	छत्तीना-दरबा-कुटेसर-बडगाँव-कुण्डा- नारा- लखौली मार्ग चौड़ीकरण मार्ग चौड़ीकरण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(ओ. पी. चौधरी)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर
रायपुर दिनांक 8/3/2017

कमॉक / भू अर्जन / 2016
प्रतिलिपि :-

- 1:- प्रमुख सचिव, छ0ग0शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2:- आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 3:- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी आरंग अभनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4:- नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय छत्तीसगढ़, राजनांदगाँव को छ0ग0 राजपत्र के भाग एक में तत्काल प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 5:- कार्य एजेन्सी कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण संभाग कमॉक 01 रायपुर की ओर अग्रेषित। उपरोक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन की प्रति तत्काल प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेंगे। प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करते हुये सभी प्रासंगिक बिन्दुओं पर स्थानीय निकाय से अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे साथ समुचित सरकार की वेबसाईड पर भी अपलोड करें।
- 6:- प्रभारी अधिकारी, (एन आई सी) रायपुर को सूचनार्थ। वेबसाईड पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- 7:- तहसीलदार आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन जिला कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय एवं नगर पालिक निगम में करवा कर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- 8:- सचिव ग्राम पंचायत नारा तहसील आरंग को सूचनार्थ उक्त अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल में कराने एवं ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा सं अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(ओ. पी. चौधरी)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर
अधिसूचना अंतर्गत धारा 25 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन
के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

545

// अधिसूचना धारा 25 //

कर्मोंक / भू अर्जन / 2016

रायपुर दिनांक 8/3/2017

चुंकि समुचित सरकार का प्रथम दृष्टया यह समाधान हो गया है कि खाना (1) से (4) तक वर्णित भूमि की खाना (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने के फलस्वरूप भू अर्जन प्रकरण 5अ/82 वर्ष 2014-15 ग्राम रीवा में धारा 19 की कार्यवाही (छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 30.10.2015) की गई है, परन्तु निर्धारित समयावधि में अधिनिर्णय पारित नहीं होने के कारण भू अर्जन प्रभावितों के लोक हित में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण में एक वर्ष की कालावधि बढ़ाई जाती है।

भूमि का विवरण					प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / नगर	खसरा	रकबा (हे० में)		
1	2	3	4	5	5	6
रायपुर	आरंग	रीवा	कुल 08 सूची सलंगन	कुल रकबा 0.147	कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण संभाग क.1 रायपुर	छतौना-दरबा-कुटेसर-बडगोव-कुण्डा- नारा- लखौली मार्ग चौडीकरण मार्ग चौडीकरण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(ओ.पी.चौधरी)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर
रायपुर दिनांक 8/3/2017

545

कर्मोंक / भू अर्जन / 2016
प्रतिलिपि :-

- 1:- प्रमुख सचिव, छ०ग०शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2:- आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 3:- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी आरंग अभनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4:- नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय छत्तीसगढ़, राजनांदगोव को छ०ग० राजपत्र के भाग एक में तत्काल प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 5:- कार्य एजेन्सी कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण संभाग कर्मोंक 01 रायपुर की ओर अग्रेषित। उपरोक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन की प्रति तत्काल प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेंगे। प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करते हुये सभी प्रासंगिक बिन्दुओं पर स्थानीय निकाय से अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे साथ समुचित सरकार की वेबसाईड पर भी अपलोड करें।
- 6:- प्रभारी अधिकारी, (एन आई सी) रायपुर को सूचनार्थ। वेबसाईड पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- 7:- तहसीलदार आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन जिला कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय एवं नगर पालिक निगम में करवा कर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- 8:- सचिव ग्राम पंचायत रीवा तहसील आरंग को सूचनार्थ उक्त अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल में कराने एवं ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा से अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

(ओ.पी.चौधरी)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर
अधिसूचना अंतर्गत धारा 25 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन
के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
// अधिसूचना धारा 25 //

546
कर्मोंक / भू अर्जन / 2016

रायपुर दिनोंक / 3 / 2017

चुंकि समुचित सरकार का प्रथम दृष्टया यह समाधान हो गया है कि खाना (1) से (4) तक वर्णित भूमि की खाना (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने के फलस्वरूप भू अर्जन प्रकरण 9अ/82 वर्ष 2014-15 ग्राम खमतराई में धारा 19 की कार्यवाही (छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनोंक 30.10.2015) की गई है, परन्तु निर्धारित समयवधि में अधिनिर्णय पारित नहीं होने के कारण भू अर्जन प्रभावितों के लोक हित में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रकरण में एक वर्ष की कालावधि बढ़ाई जाती है ।

भूमि का विवरण					प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / नगर	खसरा	रकबा (हे० में)		
1	2	3	4		5	6
रायपुर	आरंग	खमतराई	कुल 07 सूची सलंगन	कुल रकबा 0.088	कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण संभाग क.1 रायपुर	आरंग-खमतराई-भोथली-अकोलीकला-गुखेरा मार्ग चौड़ीकरण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(ओ. पी. चौधरी)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर
रायपुर दिनोंक / 3 / 2017

546
कर्मोंक / भू अर्जन / 2016
प्रतिलिपि :-

- 1:- प्रमुख सचिव, छ०ग०शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2:- आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रप्रेषित ।
- 3:- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी आरंग अन्नपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रप्रेषित ।
- 4:- नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय छत्तीसगढ़, राजनांदगाँव को छ०ग० राजपत्र के भाग एक में तत्काल प्रकाशनार्थ अग्रप्रेषित ।
- 5:- कार्य एजेन्सी कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण संभाग कर्मोंक 01 रायपुर की ओर अग्रप्रेषित । उपरोक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन की प्रति तत्काल प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेंगे । प्रभावित व्यक्तियों को सूचित करते हुये सभी प्रासंगिक बिन्दुओं पर स्थानीय निकाय से अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे साथ समुचित सरकार की वेबसाईड पर भी अपलोड करें ।
- 6:- प्रभारी अधिकारी, (एन आई सी) रायपुर को सूचनार्थ । वेबसाईड पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे ।
- 7:- तहसीलदार आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रप्रेषित । अधिसूचना का प्रकाशन जिला कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय एवं नगर पालिक निगम में करवा कर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करेंगे ।
- 8:- सचिव ग्राम पंचायत खमतराई तहसील आरंग को सूचनार्थ उक्त अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल में कराने एवं ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा सं अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे ।

(ओ. पी. चौधरी)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर